संख्या-1/2024/आई/677018/2024/001-10-25099-2275-2021

प्रेषक,

पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०,
छठवां तल, संगम पैलेस, सिविल लाइंस,
प्रयागराज ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 जून, 2024

विषयः- जनपद लखनऊ में सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार में वित्त भवन के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार में वित्त भवन के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू० 18786.45 लाख (एक अरब सत्तासी करोड़ छियासी लाख पैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त के रूप में रु० 6500.00 लाख (रूपये पैंसठ करोड़) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो। इस मद में धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(2) प्रायोजना की लागत रू० 50.00 करोड़ से अधिक होने के दृष्टिगत ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया/सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू० 383.08 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी कार्य कराये जायेंगे। उक्त मद पर व्यय वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर की लागत को अनुमन्य किया गया है। इनके क्रय हेतु क्रय समिति का गठन किया जाये, जिसके द्वारा प्रस्तावित फर्नीचर की न्यूनतम आवश्यकता एवं गुणवत्ता का निर्धारण कर फर्नीचर का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) प्रायोजना के निर्माण स्थल/कैम्पस पर खाली स्थान पर मियावाकी प्लांटेशन (MIYAWAKI PLANTATION) अवश्य कराया जाये, जिससे स्वच्छ पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

(6) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(10) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियां तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) 'सैंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन' सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में प्रायोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या**-65 **लेखा शीर्ष**-4059010510500 वित्त विभाग के अधीन समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों हेतु एकीकृत भवन का निर्माण **मानक मद**-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

संख्या- 1/2024/आई/677018/2024/001-10-25099-2275-2021, **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
9- श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त संसाधन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस० पी० सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।